मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर-नवम्बर, 2006 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 6 नवम्बर, 2006 (कार्तिक 15, 1928)

समय 10.30 बजे दिन

1. शपथ/प्रतिज्ञान

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 47-मलेहरा से उप चुनाव में निर्वाचित सदस्य श्री कपूरचन्द्र घुवारा, शपथ लेंगे/प्रतिज्ञान करेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे.

2. निधन का उल्लेख

श्री शिवानंद, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा का निधन संबंधी उल्लेख.

3. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री -

(क) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (क्रमांक 2 सन् 1899) की धारा 75-क की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक (27) बी-4-8-05-2-पांच, दिनांक 24 अप्रैल, 2006,

(ख) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की -

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-5-7-2006-1-पांच-(40), दिनांक 14 जून, 2006,

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-5-6-06-1-पांच (35), दिनांक 1 मई, 2006; तथा

(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-5-2-06-1-पांच (34), दिनांक 1 मई, 2006,

(ग) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की -

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-29-2004-1-पांच-(39), दिनांक 2 अगस्त, 2005,

(ii) अधिसूचना क्रमांक ए-3-68-2004-1-पांच (04), दिनांक 1 फरवरी, 2005,

(iii) अधिसूचना क्रमांक ए-3-100-2001-वि.क.-पांच (108), दिनांक 26 दिसम्बर, 2001; तथा

(iv) शुद्धि पत्र क्रमांक ए-3-100-2001-विक-पांच, दिनांक 4 फरवरी, 2002, एवं

(घ) लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज अधिनियम, 1998 (क्रमांक 23 सन् 1998) की धारा 7-सी की अपेक्षानुसार वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-6-12-98-अ-ग्यारह, दिनांक 19 जुलाई, 2006,
पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री,मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 11 की उपधारा (2)की अपेक्षानुसार वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 198-एफ-15-3-2005-चार-ब-आनीविइ,दिनांक 13 जुलाई,2006 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 172 (क) एवं 185 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2004-2005 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवेलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 पटल पर रखेंगे.

5. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य, भिण्ड जिले में ए.बी.सी. एवं बी.एम.सी. नहर का रखरखाव न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य, सीहोर जिले के अनेक ग्रामों की दुग्ध डेयरी योजनाओं को स्वीकृति न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री करण सिंह वर्मा, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का चौदहवां से अठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया), सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -

(क) ग्राम धमना स्थित हाई स्कूल का भवन बनाये जाने,

(ख) ग्राम गरकटा तिन्दी एवं सिमरिया के बीच नदी पर पुल बनाये जाने,

(ग) ग्राम केरपानी एवं नरसिंहपुर के बीच नर्मदा नदी पर पुल बनाये जाने,

(घ) ग्राम चिनकी स्थित विद्यालय का उन्नयन कराये जाने, तथा

(ङ) ग्राम लौकीपार के पास बारू-रेवा नदी पर पुल बनाये जाने,

(2) पंडित हरिचरण तिवारी, सदस्य, राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम मोरपीपली में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने,

(ख) ग्राम अमरगढ़ किला में हाई स्कूल प्रारम्भ कराये जाने,

(ग) ग्राम सुआहेडी से महुआबे तक सड़क बनाये जाने,

(घ) ग्राम पपडेल से ग्राम भूमरिया होकर राजस्थान की सीमा तक सड़क का नवीनीकरण एवं डामरीकरण कराये जाने, तथा

(ङ) ग्राम सिन्दुरिया से आगरा बाम्बे रोड तक सड़क का नवीनीकरण एवं डामरीकरण कराये जाने,

(3) श्री गिरीश गौतम, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम कन्देला में कन्या हाई स्कूल खोले जाने,

(4) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगौन जिले के ग्राम सबलपुरा स्थित शराब कारखाने के अपशिष्ट से नर्मदा नदी को दूषित होने से बचाये जाने,

(5) श्रीमती अर्चना चिटनिस, सदस्य, बुरहानपुर जिले के -

(क) ग्राम पिपलौद से बोरगांव-बुजुर्ग तक डामरीकृत सड़क बनाये जाने,

(ख) ग्राम आसिर से सिवल तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा

(ग) पावरलूम बुनकर सहकारी समितियों को अनुदान दिलाये जाने,

(6) श्री ताराचंद बावरिया, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के -

(क) परासिया नगर में कन्या महाविद्यालय खोले जाने,

(ख) परासिया नगर में बायपास रोड बनाये जाने, तथा

(ग) ग्राम खिरसाडोह में कृषि उपज उप-मण्डी खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

8. राज्यमंत्री उच्च शिक्षा का वक्तव्य

श्री तुकोजीराव पवार, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, दिनांक 24 जुलाई, 2006 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 98 (क्रमांक 1605) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री तुकोजीराव पवार, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 (क्रमांक 23 सन् 2006) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 24 सन् 2006) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

10. वर्ष 2006-2007 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

2 घन्टे

"दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ,64, 65, 66, 67,70, 74, 77, 79, 80, 81 तथा 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर ग्यारह सौ तिहत्तर करोड़, चौहत्तर लाख, उनतीस हजार, तीन सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2006 (क्रमांक 25 सन् 2006) का *पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

12. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. (1) प्रदेश में अतिवृष्टि एवं अल्पवर्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अश्विन जोशी, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री आरिफ अकील, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, इन्द्रजीत कुमार, रामनिवास रावत, रामलखन शर्मा, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

1 घन्टा 30 मि. (2) प्रदेश में चिकुनगुनिया, मलेरिया, पीलिया, डेंगू बुखार आदि संक्रामक बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री मनमोहन शाह बट्टी, आरिफ अकील, सुखदेव पांसे, रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री सज्जन सिंह वर्मा, श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 5 नवम्बर, 2006

*** अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरंत पश्चात्.**